न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 72/11

राधेश्याम पुत्र सीताराम आयु 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रूकमणी आत्मज श्री सीताराम जाति मेघवाल निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. द्वारकीलाल पुत्री श्री सीताराम जी जाति मेघवाल निवासी देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 54, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवलीखुर्द तहसील रामगंजमण्डी में वादिनी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर मिन 350 की रकबा 06 बीघा स्थित है जिसमें वादिनी 1/3 हिस्से की संयुक्त खात्रेदार है और अपने हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । इसी प्रकार ग्राम देवली खुर्द में खाता संख्या 368 में वादिनी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 351 मिन की रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि है । उक्त भूमि में वादिनी का 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त भूमियॉ शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण वादिनी को आराजी पर बैंक से ऋण प्राप्त करने में

कठिनाई आती है । वादिनी को वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादिनी का 1/3 हिस्सा पृथक खाता दर्ज किया जाकर वादिनी को स्वतंत्र रूप से दखल दिलाया जावे । लगान भी पृथक कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिनी के हिस्से की आराजी में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । तथा मद संख्या 02 में खाता संख्या 368 में धापू का नाम खाते से विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2011 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.03.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय को तनकी कायम करने के पश्चात् दोनों पक्षों की शहादत लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फ़रमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं विभाजन का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो विधि – विरूद्ध है । दो खसरा नम्बर के लिए दावा पेश किया था जिसमें से एक ही खसरा नम्बर के विभाजन का निर्णय पारित किया गया है । पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादिनी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित होने की एवं विभाजन कराने की अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने खसरा नम्बर 350 रकबा 06 बीघा और खसरा नम्बर 351 मिन रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा के लिए हक घोषणा एवं विभाजन के लिए

दावा पेश किया था । इस दावे का जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने दावे और जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थी परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जो आदेश 20 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है ।

10. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र खसरा नम्बर 351 की रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा के लिए दावा डिक्री किया है जबकि वादिनी ने दावे की मद संख्या 01 में खसरा नम्बर 350 रकबा 06 बीघा के लिए भी विभाजन का अनुतोष चाहा है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात का विवेचन करते हुए नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा